उ/२१७

*ई-मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक-2ब०/बैठक-04-02/2017 30 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

***द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक- 25/07/18

विषयः- **छठ पूजा, 2017 के अवसर पर पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराये गये विभिन्न सुविधाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में नागरिक सुविधा मद से कुल ₹273.65 लाख (दो करोड़ तिहत्तर लाख पैंसठ हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की घटनोत्तर स्वीकृति।**

आदेशः- **स्वीकृत।**

मुख्य महाप्रबंधक, बुडको के पत्रांक- 1822, दिनांक- 29.05.2018 द्वारा छठ पूजा, 2017 के अवसर पर पटना नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराये गये विभिन्न सुविधाएँ यथा- घाट निर्माण, बैरिकेटिंग, विद्युत व्यवस्था, Changing room आदि हेतु वास्तविक व्यय की गई राशि ₹273.65 लाख (दो करोड़ तिहत्तर लाख पैंसठ हजार रु०) मात्र आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

विचारोपरांत उक्त अनुरोध के आलोक में छठ पूजा, 2017 के अवसर पर श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराये गये विभिन्न सुविधाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में नागरिक सुविधा मद से कुल ₹273.65 लाख (दो करोड़ तिहत्तर लाख पैंसठ हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की घटनोत्तर स्वीकृत प्रदान की जाती है।

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹273.65 लाख (दो करोड़ तिहत्तर लाख पैंसठ हजार रु०) मात्र।

इसके लिए CFMS के माध्यम से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

2. उक्त स्वीकृत ₹273.65 लाख (दो करोड़ तिहत्तर लाख पैंसठ हजार रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना होंगे।** राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.1998 एवं पत्रांक- 354, दिनांक- 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में निकासी की जाएगी। **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। निकासी के उपरांत राशि का हस्तांतरण बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से बुडको को नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना द्वारा किया जायेगा।**

3. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक-

G:\Kamlesh\Section - 2 (18-19)\GO 2018-19\GO_ Nagarik subidha.doc

22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

4. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

5. राशि के भुगतान के पूर्व प्रबंध निदेशक, बुडको नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित हो लेंगे कि कार्यों अथवा राशि के भुगतान में डुप्लीकेशी नहीं हो रही हो।

6. उक्त स्वीकृत ₹273.65 लाख (दो करोड़ तिहत्तर लाख पैंसठ हजार रु०) मात्र राशि की निकासी मांग संख्या– 48 बजट शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्यशीर्ष– 01–राज्य की राजधानी का विकास, लघुशीर्ष– 191–नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष– 0109–नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें–सहायक अनुदान विपत्र कोड– **48-2217011910109,** विषय शीर्ष 0109.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण से की जाएगी। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक में आवश्यक राशि का उपबंध है।

7. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

8. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

9. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/बैठक–04–02/2017 के पृष्ठ सं०– ...36.../टि० पर दिनांक– 23/07/2018 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०– ...37.../टि० पर दिनांक– 23/07/2018 को प्राप्त है।

10. इसकी सूचना आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

24.07.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/बैठक–04–02/2017 30 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 25.07.18

प्रतिलिपिः– आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बुडको/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.07.18

सरकार के विशेष सचिव।